


1/296

विलिखित



न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी एल/निगरानी/अशोकनगर/२५४०/२०१७/३१२२

नीलम सिंह पुत्र वीरनसिंह यादव निवासी
ग्राम करैयावनेट तहसील व जिला
अशोकनगर म०प्र०

— आवेदक

प्र.स. पी. चला, पं.
आज दि. ०५.०९.१७ को
प्रस्तुत

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट ५९१७
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. जगराम सिंह पुत्र मेहरवानसिंह यादव
निवासी ग्राम करैयावनेट तहसील
अशोकनगर म०प्र०
2. म०प्र० शासन

— अनावेदकगण

(Signature)
५.९.१७

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अनु०वि०अधि० अशोकनगर के प्र.क.
02/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017
के विरुद्ध जानकारी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

3

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम करैयावनेट की भूमि सर्वे क्र. 16/1 मिन रकवा 1.00 हेक्टर भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/3122 जिला-अशोकनगर
नीलमसिंह विरुद्ध जगराम सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30 .08.2019	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>(3)</p> <p>(जे.के. जैन) सदस्य</p>	